दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991
(1992 का अधिनियम संख्यांक 1) से उद्धरण

* * * * *

भाग 2

विधान सभा

3. विधान सभा और उसकी संरचना---(1) विधान सभा में प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए व्यक्तियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या सत्तर होगी ।

(2) विधान सभा के निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए, राजधानी को इस अधिनियम के भाग 3 के उपबंधों के अनुसार, एकल-सदस्य सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में ऐसी रीति में विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र की जनसंख्या समस्त राजधानी में यथासाध्य एक ही हो ।

(3) विधान सभा में अनुसूचित जातियों के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात विधान सभा में स्थानों की कुल संख्या में यथाशक्य वही होगा जो राजधानी में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का अनुपात राजधानी की कुल जनसंख्य्य से है और ऐसे आरक्षण के संबंध में, अनुच्छेद 334 के उपबंध लागू होंगे ।

स्पष्टीकरण---इस धारा में "जनसंख्या" पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं :

[1][परन्तु इस स्पष्टीकरण में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं, निर्देश का जब तक सन् 2026 के पश्चात् की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह 2001 की जनगणना के प्रति निर्देश है :]

[2][परंतु यह और कि परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002 का 33) के अधीन परिसीमन आयोग द्वारा 2001 की जनगणना के आधार पर राजधानी के प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन में कोई पुनःसमायोजन उस तारीख से प्रभावी होगा जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे और ऐसे पुनः समायोजन के प्रभावी होने तक, विधान सभा के लिए कोई निर्वाचन ऐसे पुनः समायोजन से पूर्व विद्यमान प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों के आधार पर कराया जा सकेगा ।]

4. विधान सभा की सदस्यता के लिए अर्हता---कोई व्यक्ति विधान सभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित तभी होगा जब---

(क) भारत का नागरिक है और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है और उस पर अपने हस्ताक्षर करता है ;

(ख) वह कम से कम पच्चीस वर्ष की आयु का है ; और

(ग) उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं हैं जो इस निमित्त संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाएं ।

5. विधान सभा की अवधि---विधान सभा, यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है, तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं और पांच वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम विधान सभा का विघटन होगा :

परन्तु उक्त अवधि को, जब अनुच्छेद 352 के खंड (1) के अधीन निकाली गई आपात-उद्घोषणा प्रवर्तन में है, राष्ट्रपति आदेश द्वारा ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगा जो एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी और उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात् किसी भी दशा में, उसका विस्तार छह मास की अवधि से अधिक नहीं होगा ।

* * * * * *

---

[1] 2005 के अधिनियम सं0 19 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 2006 के अधिनियम सं0 5 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित ।

14. स्थानों का रिक्त होना---(1) कोई व्यक्ति संसद् तथा विधान सभा, दोनों का सदस्य नहीं होगा और यदि कोई व्यक्ति संसद् तथा ऐसी सभा, दोनों का सदस्य चुन लिया जाता है तो ऐसी अवधि की समाप्ति के पश्चात्, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) और राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 101 के खंड (2) तथा अनुच्छेद 190 के खंड (2) में या उसके अधीन विनिर्दिष्ट की जाए, उस व्यक्ति का संसद् में स्थान रिक्त हो जाएगा, जब तक कि उसने विधान सभा में अपने स्थान को पहले ही नहीं त्याग दिया है ।

(2) यदि विधान सभा का कोई सदस्य---

(क) सभा की सदस्यता के लिए धारा 15 या धारा 16 में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो जाता है ;

(ख) अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने स्थान का त्याग कर देता है और उसका त्यागपत्र अध्यक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है,

तो ऐसा होने पर उसका स्थान रिक्त हो जाएगा :

परन्तु खंड (ख) में निर्दिष्ट त्यागपत्र की दशा में, यदि प्राप्त जानकारी से या अन्यथा और ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह ठीक समझे, यथास्थिति, अध्यक्ष का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा त्यागपत्र स्वैच्छिक या असली नहीं है तो वह ऐसे त्यागपत्र को स्वीकार नहीं करेगा ।

(3) यदि विधान सभा का सदस्य साठ दिन की अवधि तक सभा की अनुज्ञा के बिना, उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो सभा उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकेगी :

परन्तु साठ दिन की उक्त अवधि की संगणना करने में किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान सभा सत्रावसित या निरंतर चार से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहती है ।

15. सदस्यता के लिए निरर्हता---(1) कोई व्यक्ति विधान सभा का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा---

(क) यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के किसी संघ राज्यक्षेत्र की सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़कर, जिसके धारण करने वाले का निरर्हित न होना संसद् द्वारा या किसी राज्य के विधान-मंड़ल द्वारा या राजधानी या किसी अन्य संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है ;

(ख) यदि वह अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (ख), उपखंड (ग) या उपखंड (घ) के उपबंधों के अधीन अथवा उस अनुच्छेद के अनुसरण में बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन, संसद् के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य चुने जाने और होने के लिए तत्समय निरर्हित है ।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार का किसी संघ राज्यक्षेत्र की सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ या ऐसे राज्य का या ऐसे संघ राज्यक्षेत्र का मंत्री है ।

(3) यदि यह प्रश्न उठता है कि विधान सभा का कोई सदस्य उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन ऐसा सदस्य होने के लिए निरर्हित हो गया है या नहीं, तो वह प्रश्न राष्ट्रपति के विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

(4) ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा ।

16. दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता---संविधान की दसवीं अनुसूची के उपबंध, आवश्यक उपांतरों के अधीन रहते हुए (जिसके अंतर्गत यह उपांतरण भी है कि उसमें राज्य की विधान सभा, अनुच्छेद 188, अनुच्छेद 194 और अनुच्छेद 212 के प्रति निर्देशों का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वे, क्रमशः विधान सभा और इस अधिनियम की धारा 12, धारा 18 और धारा 37 के प्रति निर्देश हैं) विधान सभा के सदस्यों को और उनके संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे राज्य की विधान सभा के सदस्यों को और उनके संबंध में लागू होते हैं, और तदनुसार :---

(क) इस प्रकार उपांतरित उक्त दसवीं अनुसूची इस अधिनियम का भाग समझी जाएगी ; और

(ख) कोई व्यक्ति विधान सभा का सदस्य होने से निरर्हित होगा यदि वह इस प्रकार उपांतरित उक्त दसवीं अनुसूची के अधीन इस प्रकार निरर्हित है ।

* * * * * *

भाग 3

निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन

38. निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन करना---(1) निर्वाचन आयोग, धारा 3 के अधीन विधान सभा के लिए समनुदिष्ट स्थानों को एक-सदस्यीय प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में, इसमें उपबन्धित रीति से, वितरित करेगा और उनका परिसीमन निम्नलिखित उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, करेगा, अर्थात् : ---

(क) सभी निर्वाचन-क्षेत्रों का, यथासाध्य, ऐसी रीति से परिसीमन किया जाएगा कि राजधानी की कुल जनसंख्या का ऐसे प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र की जनसंख्या से अनुपात एक ही हो ; और

(ख) वे निर्वाचन-क्षेत्र, जिनमें अनुसूचित जातियों के लिए स्थान आरक्षित किए जाते हैं, यथासाध्य, उन क्षेत्रों में अवस्थित होंगे, जहां उनकी जनसंख्या का अनुपात कुल जनसंख्या से अपेक्षाकृत अधिक हो ।

(2) निर्वाचन आयोग,---

(क) निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के लिए अपनी प्रस्थापनाएं, राजपत्र में और ऐसी अन्य रीति से भी, जैसी आयोग ठीक समझे, प्रकाशित करेगा और साथ-साथ एक सूचना भी प्रकाशित करेगा जिसमें प्रस्थापनाओं के संबंध में आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए हों और वह तारीख विनिर्दिष्ट की गई हो जिसकी या जिसके पश्चात् प्रस्थापनाओं पर उसके द्वारा आगे विचार किया जाएगा ;

(ख) उन सभी आक्षेपों और सुझावों पर विचार करेगा जो उसे इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से पहले प्राप्त हुए हों ;

(ग) इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख के पहले उसे प्राप्त हुए सभी आक्षेपों और सुझावों पर विचार करने के पश्चात्, एक या अधिक आदेशों द्वारा, निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन अवधारित करेगा और ऐसे आदेशों या आदेशों को राजपत्र में प्रकाशित करवाएगा ; और ऐसे प्रकाशन पर वह आदेश या वे आदेश विधि का पूर्ण बल रखेगा या रखेंगे और उसे या उन्हें किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

39. निर्वाचन आयोग की परिसीमन आदेशों को अद्यतन रखने की शक्ति---निर्वाचन आयोग, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर---

(क) धारा 38 के अधीन किए गए किसी आदेश में की किसी मुद्रण संबंधी भूल को या अनवधानता से हुई भूल या लोप से उसमें हुई किसी गलती को शुद्ध कर सकेगा ;

(ख) वहां, जहां कि उस किसी आदेश में उल्लिखित किसी प्रादेशिक खंड की सीमाएं या नाम परिवर्तित कर दिए जाते हैं, का ऐसे संशोधन कर सकेगा जो उस आदेश को अद्यतन बनाने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों ।

40. विधान सभा के लिए निर्वाचन---(1) धारा 38 के अधीन सभी सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन करने के पश्चात् विद्यमान विधान सभा का गठन करने के प्रयोजन के लिए यथाशीघ्र साधारण निर्वाचन कराया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, उपराज्यपाल, राजपत्र में प्रकाशित एक या अधिक अधिसूचनाओं द्वारा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) और उसके अधीन बनाए गए नियमों या जारी किए गए आदेशों के, जो उपधारा (3) के अधीन लागू हैं, उपबंधों के अनुसार उक्त सभी सभा निर्वाचन-क्षेत्रों से सदस्यों के निर्वाचन की अपेक्षा करेगा ।

(3) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) और उक्त अधिनियमों के अधीन बनाए गए नियम या निकाले गए आदेश तथा निर्वाचनों से संबंधित तत्समय प्रवृत्त सभी अन्य विधियां, आवश्यक उपांतरणों सहित (जिनमें उसमें अर्थान्वयन करने के लिए राज्य, राज्य सरकार और राज्यपाल के प्रति निर्देशों को क्रमशः, राजधानी, राजधानी की सरकार और उपराज्यपाल के प्रति निर्देश के रूप में सम्मिलित उपांतरण भी हैं) उपधारा (1) में निर्दिष्ट साधारण निर्वाचन को या उसके संबंध में लागू होंगी।

* * * * * *

53. कठिनाइयां दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति---(1) यदि इस अधिनियम द्वारा निरसित किसी विधि के उपबंधों के संक्रमण के संबंध में, या इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में तथा विशिष्टतया विधान सभा के गठन के संबंध में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राष्ट्रपति, ऐसे आदेश द्वारा, जो संविधान के या इस अधिनियम के उपबंधों के असंगत न हो, कोई भी बात कर सकेगा जो उसे उस कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई आदेश प्रथम विधान सभा के गठन की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

* * * * * *